NAYA INDIA, Delhi, 5.7.2020
Page No. 11, Size:(22.90)cms X (9.21)cms.

थप्पड़-चप्पल कांडः सोनाली के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिका

हिसार ■ वार्ता/डेस्क

भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेता सोनाली फौगाट द्वारा गत पांच जून को बालसमंद अनाज मंडी में हिसार मार्किट कमेटी के सचिव सुलतान सिंह के साथ सरेआम थप्पड़-चप्पल से मारपीट किए जाने के मामले में सोनाली की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

इस मामले में जमानत पर चल रही सोनाली के खिलाफ अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है। बहादुरगढ़ के एक गैर सरकारी संगठन मानवाधिकार एक्शन फोरम ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर आरोप लगाया कि सोनाली और मार्किट कमेटी सचिव के बीच बालसमंद मंडी में गत पांच जून को हुए विवाद में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघी गई हैं। शिकायत में कहा गया है एक राजनेता के इस तरह के आचरण और एक सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक स्तर पर थप्पड़ और चप्पल से पीटना उसके मानवाधिकार का उल्लंघन है। संगठन ने शिकायत में इस मामले की निष्पक्ष जांच करा कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत की जांच के बाद इसे हरियाणा मानवाधिकार आयोग को भेज दिया है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया की खंडपीठ ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए हिसार के पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब करते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच कर एक सितम्बर तक आयोग को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुलतान सिंह पक्ष की ओर से सोनाली फौगाट की जमानत रद्द करने की याचिका पर छह जुलाई को बहस होनी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनाली द्वारा कथित तौर पर गवाहों पर दबाव बनाया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है।

सोनाली के वकील दलीप जार
शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
(एसीजेएम) शिफा की अदालत में
पक्ष रखते हुए कहा कि उसकी मुवकि
भी गवाह को न तो डराया है न ही प्रभ
है। वह सब्जी मंडी में सब्जी और फल
थीं। दूसरे पक्ष ने जो सीडी अदालत में
है वह प्रमाणित नहीं है। उसकी किसी
नहीं कराई गई है।

उधर, सतरोल खाप की महिला
चौधरी ने सोनाली फौगाट को चेताव
वह खाप का अपमान न करें। सोना
को बदनाम करने की कोशिश की त
नहीं किया जाएगा। सोनाली को अग
है तो वह खाप के सामने आकर अपन
उन्होंने कहा कि गत दिनों से भाजपा
के बारे में गलत बयानबाजी कर रही है
खाप से कोई सहायता चाहती हैं, तो
समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखें।

TIMES OF INDIA, Chandigarh, 5.7.2020
Page No. 9, Size:(15.66)cms X (16.30)cms.

Human rights commission seeks report on 'Sonali's slap'

TIMES NEWS NETWORK

Chandigarh: Taking cognisance of BJP leader and Tik-Tok star Sonali Phogat allegedly slapping and manhandling mandi secretary Sultan Singh, Haryana Human Rights Commission has sought a report from SP, Hisar. He has been asked to submit a report on the incident in six weeks.

The State Human Rights Commission passed these orders on Friday after receiving a reference from the National Human Rights Commission (NHRC). "It has been alleged in the complaint that a woman named Sonali Phogat assaulted one Sultan Singh publicly and beat him with a slipper. It has been alleged that human rights of the victim have been violated. Videos of the said incident have been circulated through social media. The complaint was originally sent by an NGO, Human Rights Forum, Bahadurgarh. In view of this, let a report be requisitioned from the superintendent of police, Hisar through the director of investigation within a period of six weeks," observed Deep Bhatia, member of the state human rights commission, Haryana in his order.

File photo

Sonali Phogat had slapped a market committee officer

The matter will come up for hearing before the commission on September 9. On June 5, a video went viral on social media in which Sonali Phogat, who had unsuccessfully contested state assembly polls from Adampur seat on BJP ticket in October 2019, beat up government official Sultan Singh in full public view. The incident allegedly took place at the grain market of Balsamand village of Hisar district, where Phogat was visiting with her supporters.

The matter also reached the state women's commission, Haryana. An FIR was registered by Hisar police against Phogat and her supporters. She was also arrested and produced before court, which granted her bail. Police have submitted a chargesheet against her. At present, she is out on bail.